तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सत्यनारायण शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति संभागीय आयुक्त), जयपुर अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/32	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2025	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ 19(1)(57) UN नं 111/प्रथम अपील/05804/2024/41 दिनांक 06.02.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आर.टी.आई आवेदन दिनांक 27.10.2024 इस कार्यालय में दिनांक 05.11.2024 को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र द्वारा अपेक्षित सूचना के संदर्भ में इस कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक 631 दिनांक 12.11.2024 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि "आप द्वारा अपेक्षित सूचना तृतीय पक्ष की सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है किन्तु आवेदन पत्र में यह अंकित नहीं किया गया है कि किस कार्मिक/अधिकारी से संबंधित सूचना चाही गई है। अतः स्पष्ट विवरण सहित नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।" अपीलार्थी द्वारा उक्त के संबंध में आदिनांक कोई प्रत्युत्तर/जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो सका है। अतः अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी के आर.टी.आई. आवेदन पत्र द्वारा अपेक्षित उक्त सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण सूचना प्रदान करने से पूर्व तृतीय पक्ष की सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है किन्तु प्रार्थी के आवेदन पत्र में किस कार्मिक/अधिकारी से संबंधित सूचना चाही गई है, स्पष्ट नहीं होने के कारण अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 631 दिनांक 12.11.2024 द्वारा स्पष्ट सूचना सहित नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। अपीलार्थी द्वारा उक्त के संबंध में आदिनांक कोई प्रत्युत्तर/जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर	